सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि:- 29.06.2026
क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल मध्य प्रदेश
द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड , शहडोल , (म.प्र.) - 484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15 (15 दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है"** एवं **"दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1.	जैतहरी जिला :- अनुपपुर (म.प्र.) मोब न:- 7090105321	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा **(मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)** पता:- वार्ड क्रा. 12, ग्राम - धनगवां, थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश-484330	रु.11,86,595/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	**संपत्ति का विवरण:-** खसरा क्रा. 1055/1/K/1/1/K/1/2,ग्राम – धनगवां,पटवारी-हल्का धनगवां क्रमांक – 37,राजस्व निरीक्षक मण्डल – जैतहरी, विकास खण्ड - जैतहरी, तहसील - जैतहरी , जिला अनुपपुर, (म.प्र.)-484330, **भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता** :-श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा, **चतुसीमा:-** उत्तर:- विक्रेता की शेष आराजी , दक्षिण:- पी.डब्लू.डी. रोड (राज्य मार्ग), पूर्व:- पुरुषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम-: अनुसूईया बाई की आराजी , **कुल क्षेत्रफल:**- 0.020 हे° / 200 वर्ग मीटर एवं उस पर निर्मित भवन **कब्जे का प्रकार:-** भौतिक कब्जा (दिनांक:- 18.09.2025) ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 30.06.2023 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :- 13.10.2023	रु 8,40,000/- रु 84,000/- रु 5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.centralbankofindia.bank.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल **https://baanknet.com** पर उपलब्ध लिंक देखें।नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर **91-82912-20220** , **प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल मध्य प्रदेश (Email : recvshahro@centralbank.bank.in)** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है । शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा :- जैतहरी (म.प्र.) मोब न:- 7090105321,**से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण हेतु संबन्धित शाखा से संपर्क कर **दिनांक :- 16.06.2026 से 20.06.2026** को कर सकते हैं | संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली – पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को स्वयं ही वहन करना होगा| उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन **15 (15 दिन)** दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है |

दिनांक: 12.06.2026
स्थान: शहडोल (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 29.06.2026
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
29.06.2026 **समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक**	**29.06.2026** **साँय 4.00 बजे तक**

<u>नियम एवं शर्तें</u>

1. ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित"** के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।

2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक:- 29.06.2026 को (समय: दोपहर12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।

3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल **http://www.centralbankofindia.bank.in** पर आएं अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** है।

4. निविदाकर्ता **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
<u>प्रथम चरण</u> : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
<u>द्वितीय चरण</u> : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
<u>तृतीय चरण</u> : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
<u>चतुर्थ चरण</u> : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।

5. ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-**PSB Alliance Pvt Ltd** द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East , Mumbai-400037 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट **https://ebikray.in**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

(Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट http://www.centralbankofinda.bank.in, https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालान के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 91-82912-20220 या E-mail-id support.baanknet@psballiance.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।

7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd) निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।

8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक:- 29.06.2026 साँय 4.00 बजे तक।**

9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।

10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।

12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम **10 मिनट** में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही **10 मिनट** बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का **25%**, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का **75%**, नीलामी तिथि के दिन से **15वें** दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	**AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL**	**CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल**

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोडने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध **(PSB Alliance Pvt Ltd)** के वेब पोर्टल **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** और **www.centralbankofindia.bank.in** पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा:- जैतहरी (म.प्र.) मोब न:- 7090105321 ,** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री रामा कान्त मिश्रा (प्राधिकृत अधिकारी) (मोबा:-91-96930-96247),श्री हर्षित श्रीवास्तव (मोबा:- 91- 63878-24718)** , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, **ई-मेल - recvshahro@centralbank.co.in** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : शहडोल
दिनांक : 12.06.2026

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

शव सुरक्षित रखने वाला इंजेक्शन बच्चे को लगाया; 2 नर्सिंग अफसर पर FIR

भोपाल| भोपाल के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान 3 वर्षीय ब्लड कैंसर पीड़ित सार्थक यादव की मौत के मामले में बागसेवनिया थाना पुलिस ने दो नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि बच्चे को आईवी फ्लश की जगह फॉर्मेलिन (शव सुरक्षित करने वाला रसायन) इंजेक्ट कर दिया गया था। एम्स की आंतरिक जांच समिति ने भी मौत का सीधा संबंध फॉर्मेलिन से माना है। सागर जिले के ग्राम कौरजा निवासी सार्थक ब्लड कैंसर से पीड़ित था। उसे 15 दिसंबर 2025 को एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया था। 17 दिसंबर की सुबह उसकी आईवी लाइन चोक हो गई।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर (म.प्र.)

नरसिंहपुर, दिनांक 08/06/2026

// निविदा सूचना //

निविदा सूचना क्रमांक 10/ वर्ष 2026-27/कार्य.व.

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (रु. लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	आमंत्रण क्र.	कार्य समयावधि	भौतिक रूप से लिफाफा प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी. आर. एवं अन्य दस्तावेज)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2025_PWDR B_457553_7	नरसिंहपुर	निर्माण	गाडरवारा उपसंभाग के अंतर्गत सिहोरा बायपास विद्युतीकरण कार्य सहित (सी.सी.) मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. का निर्माण कार्य। (सातवां आमंत्रण)	231.58	2,32,000	15,000	सातवां आमंत्रण	04 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
2	2026_PWDR B_480475_5	नरसिंहपुर	रिन्युवल	गाडरवारा उपसंभाग के अंतर्गत गाडरवारा चीचली मार्ग से एन.टी.पी.सी. मार्ग लंबाई 4.20 किमी. का रिन्युवल मरम्मत कार्य। (पंचम आमंत्रण)	222.12	2,22,500	15,000	पंचम आमंत्रण	03 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
3	2026_PWDR B_473681_8	नरसिंहपुर	मरम्मत कार्य	नरसिंहपुर संभाग अंतर्गत कुल लंबाई 68.06 कि.मी के विभिन्न मार्गो की एस.एम.टी.सी. कार्य निविदा (आठवां आमंत्रण) -(1) गोपालपुरी कामती मार्ग ल. 7.30कि.मी. (2) बेलखेड़ी बरहटा मुंगवानी मार्ग लंबाई 17.80 कि.मी. (3) गाडरवारा तेन्दूखेड़ा नवीन राज्य मार्ग कि.मी. 19/2 से ग्राम बीकोर सिन्दूर नदी तक मार्ग ल. 6.00 कि.मी. (4) नरसिंहपुर मारुवा मार्ग लंबाई 1.00 कि.मी. (5) महगंवाकला से भामा मार्ग ल. 16.90 किमी (6) उमरिया से पिपरहा मार्ग लंबाई 5.20 कि.मी. (7) मऊ लिंक मार्ग ल. 1.00 कि.मी. (8) बनवारी पहुंच मार्ग ल. 0.80 कि.मी. (9) खोबी भैंसा राखी से ब्रम्हकुण्डघाट मार्ग ल. 4.36 कि.मी. (10) गुंदरई से पथरौआ मार्ग ल. 4.00 कि.मी. (1) सालीचौका से सहजपुर मार्ग लंबाई 2.20 कि.मी. (12) सांकल मार्ग से माढ़ी तिराहा मार्ग ल. 1.50 कि.मी.	61.25	61,500	10,000	आठवां आमंत्रण	12 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
4	2026_PWDR B_513896_1	नरसिंहपुर	मजबूतीकरण	गाडरवारा उपसंभाग के अंतर्गत पी.एम. श्री कृषि उ.मा. विद्यालय पहुँच मार्ग बोहानी मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य।	109.98	1,10,000	12,500	प्रथम आमंत्रण	03 माह वर्षा ऋतु रहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
5	2026_PWDR B_513897_1	नरसिंहपुर	मजबूतीकरण	गाडरवारा उपसंभाग के अंतर्गत बनवारी पहुँच मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य।	105.18	1,05,500	12,500	प्रथम आमंत्रण	03 माह वर्षा ऋतु रहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
6	2026_PWDR B_513898_1	नरसिंहपुर	मजबूतीकरण	गोटेगांव उपसंभाग के अंतर्गत सिमरीबड़ी बसखिरवा ठेमी मार्ग लंबाई 5.77 कि.मी का मजबूतीकरण कार्य।	270.40	2,70,500	15,000	प्रथम आमंत्रण	08 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
7	2026_PWDR B_513899_1	नरसिंहपुर	मजबूतीकरण	नरसिंहपुर उपसंभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर मगरधा सांकल सिहपुर मिलवारी पहुंच मार्ग शहरी क्षेत्र फिनिशिंग लंबाई 3.60 कि.मी. (विद्युतीकरण कार्य सहित) का मजबूतीकरण कार्य।	462.12	4,62,500	15,000	प्रथम आमंत्रण	08 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
8	2026_PWDR B_513901_1	नरसिंहपुर	मजबूतीकरण	गोटेगांव उपसंभाग के अंतर्गत खोबी भैंसा राखी ब्रम्हकुण्ड नर्मदाघाट मार्ग लंबाई 4.36 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य।	454.98	4,55,000	15,000	प्रथम आमंत्रण	08 माह वर्षा ऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
				योग	1917.61					

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाईन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 22/06/2026, (17.00) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। मूल धरोहर (ई.एम.डी.) राशि एवं अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत दिनांक 22/06/2026, (17.30) बजे तक आरोकानुसार संबंधित पोर्टल मे प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर

जी- 14262/26

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिसः ई-नीलामी दि. 29/06/2026

क्षेत्रीय कार्यालयः शहडोल, मध्य प्रदेश

द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15(15 दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक / अधिपत्य दिनांक / बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	साम्य बंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1.	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा **(मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**, पता:- वार्ड क्र. 12, ग्राम - धनगवां, थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश-484330 **संबंधित शाखा :** जैतहरी जिला :-अनुपपुर (म.प्र.), मोब न:-7090105321	**30.06.2023** / **18.09.2025** / **₹ 11,86,595/-** + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	**संपत्ति का विवरण:-** खसरा क्र. 1055/1/क/1/1/क/1/2, ग्राम - धनगवां, पटवारी- हल्का धनगवां क्रमांक - 37, राजस्व निरीक्षक मण्डल - जैतहरी, विकास खण्ड - जैतहरी, तहसील - जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.)- 484330, **भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :-** श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा, **चतुर्सीमा :- उत्तर :-** विक्रेता की शेष आराजी, **दक्षिण :-** पी.डब्ल्यू.डी. रोड (राज्य मार्ग), **पूर्व :-** पुरुषोत्तम सोनी की आराजी, **पश्चिम -:** अनुसुईया बाई की आराजी, **कुल क्षेत्रफल:-** 0.020 हे. / 200 वर्ग मीटर एवं उस पर निर्मित भवन	**8,40,000/-** / **84,000/-** / **5,000/-**
2.	मेसर्स एस के इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोप श्री मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाउद खान, पता:- खसरा नंबर 351/18 का 1 गांव मंगथर पाली रोड पर गोरैया, तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.), **जमानतदार** श्री महबूब खान पुत्र मोहम्मद दाउद खान, पता:- खसरा नंबर 351/18 का 1 ग्राम मंगथर पाली रोड पर गोरैया, तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.), **संबंधित शाखा :** बिरसिंहपुर पाली मोबाइल नंबर:- 9807959202	**11.01.2022** / **16.02.2026** / **₹ 16,16,489/-** + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	**संपत्ति का विवरण:-** मंगथर पाली रोड पर गोरैया, ग्राम-गोरैया, पटवारी हल्का नंबर-4, खसरा नंबर-351/18 का 1, तहसील-पाली, जिला-उमरिया (म.प्र.), **भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :-** श्री मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाउद खान, **चतुर्सीमा :- उत्तर :** गोविंद सिवहरे की भूमि, **दक्षिण:** पाली मंगथर रोड, **पूर्व :** गोविंद दास सिवहरे की भूमि, **पश्चिम :** नूरजहां की भूमि, **कुल क्षेत्रफल** 1254 वर्ग मीटर इस पर बनी बिल्डिंग और यूनिट्स	**22,40,000/-** / **2,24,000/-** / **10,000/-**

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.centralbankofindia.bank.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल **https://baanknet.com** पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु **हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:-recvshahro@centralbank.bank.in)** से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु **संबन्धित शाखा - संबन्धित शाखा :- जैतहरी (म.प्र.) मोब न:- 7090105321, बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) मोब न:- 9807959202**, से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर **दिनांक :- 16/06/2026 से 20/06/2026** को कर सकते हैं। संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली-पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को वहन करना होगा। उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन **15 (15 दिन)** दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक : 12.06.2026, स्थान : शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी